इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 226/अ0अ0 भवन/जोन-4/2011-12 दिनांक 12/xi/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास (अफोर्डेबुल हाउस) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसके स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री विनय श्रीचन्द्र गुप्ता, श्री आशीष श्रीचन्द्र गुप्ता एवं श्री अभिनेष श्रीचन्द्र गुप्ता द्वारा भवन सं0-79 आराजी सं0-11/1 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद 11/2 (पार्ट) भवन सं0-76 एवं 11/3 मौजा चक रघुनाथ, नैनी इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल समूह आवास मानचित्र के प्रस्तावित स्थल पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. प्रस्तुत लैण्ड स्केप प्लान के अनुसार स्थल पर पर्याप्त वृक्ष (40 नग) लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व निर्माण/विकासकर्ता/रेजीडेन्ट सोसायटी का होगा।
5. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।
6. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा संयोजन किचेन एवं टायलेट में आवश्यक रूप से करना होगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुरूप पूर्ण कराते हुए भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत आगणन में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक/विकासकर्ता को वहन करना होगा।
9. प्रस्तुत मानचित्र कुल 96 आवासीय इकाई (अफोर्डेबुल हाउस) की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण निषिद्ध होगा
10. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 की समस्त प्रभावी नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
11. Value of Property की घोषणा एक वर्ष के अन्दर आवश्यक रूप से करनी होगी।
12. स्थल पर मौजूद पुराने ढाँचे को कुशल इन्जीनियर की देख-रेख में ध्वस्त करना होगा, जिससे जन-धन की हानि न होने पाये।
13. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा को अपने परिसर में ही रखा जायेगा इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 05.10.2012 का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
14. मुख्य अभियन्ता विद्युत, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 73, टैगोर टाउन, इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 25.09.2012 जिसकी छायाप्रति एतद् संलग्न है में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

Continued

Revised Section map
with Permit letter
and all enclosure
12-11-12 Subhash Gupta 9506129577